



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

**पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 55/2025

पालाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

- 1- अंग्रेज देवी पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- कैलाश पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- प्रभूदयाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4- बिमला पत्नी हस्तीराम जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 5- मूर्ति पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 6- रजो देवी पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 7- रेणू पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 8- राजेन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 9- हस्तीराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी चक 5 एच.एल.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 10- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिए शाखा प्रबंधक।
- 11- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता विभाजन डिक्री**

दिनांक :- 15.09.2025



वादी की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री मांगीलाल सुथार व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान



काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वाद वादी निम्नलिखित अनुसूची में  
किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है :-

क. वादी पालाराम को प्राप्त कृषि भूमि: -

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.न. 116/376 (25) के  
किला न. 14, 15 की कुल 0.506 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

ख. प्रतिवादी सं. 1 अग्रेज देवी को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.न.116/376 (25) के  
किला न. 16,17 की कुल 0.506 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

ग. प्रतिवादी सं. 2 कैलाश को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.न. 117/376 (26) के  
किला न. 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23 में 0.185 है० किला न. 22 के चिपती हुई किला  
न. 23 में पश्चिम दिशा में इस प्रकार कुल 0.641 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन  
खाला कृषि भूमि

घ. प्रतिवादी सं. 3 प्रभुदयाल को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प. न. 116/376 (25) के  
किला न.1 ता 12 की कुल 3.036 है० व प.न.115/376 (24) के किला न. 24 में 0.076 है०  
किला न. 25 के चिपती हुई किला न.24 में पूर्व दिशा में, 25/2/0.203, 25/3/0.025 एवं  
प.न.117/376 (26) के किला न. 20 में 0.075 है० पश्चिम दिशा में, 23 में 0.043 है० किला  
न.24 के चिपती हुई किला न. 23 में पूर्व दिशा में, 24 में 0.114 है० किला न.23 के चिपती हुई  
किला न.24 के पश्चिम दिशा में तथा चक 11 एमडब्ल्यु के खाता सं. 43/38 के प.न.  
117/372 (36) के किला न. 23/0.034, 24/0.152, 25/0.152 है० कृषि भूमि इस प्रकार  
दोनो चको की कुल 3.910 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

ड. प्रतिवादी सं. 4 विमला को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यु के खाता सं. 43/38 के प. न. 117/372 (36) के  
किला न.18 में 0.165 है० किला न. 19 के चिपती हुई किला न.18 में पश्चिम दिशा में, 19/20  
21/0.114, 22/0.126, 23 में 0.071 है० किला न. 22 के चिपती हुई किला न. 23 में पश्चिम  
दिशा में इस प्रकार कुल 0.982 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

च. प्रतिवादी सं. 5 मुर्ती देवी को प्राप्त कृषि भूमि:-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.न. 115/376 (24) के  
किला न.12, 13, 14, 15/1/0.227, 15/2/0.026 की कुल 1.012 है० कमाण्ड अनकमाण्ड  
मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

छ. प्रतिवादी सं. 7 रेणू को प्राप्त कृषि भूमि:-

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यु के खाता सं. 43/38 के प.न. 117/372 (36) के  
किला न.16, 17, 18 में 0.088 है० किला न. 17 के चिपती हुई किला न. 18 में पूर्व दिशा में,  
23 में 0.047 है० किला न. 23 में पूर्व दिशा में 0.034 है० प्रतिवादी सं. 3 की छोड़कर व  
पश्चिम दिशा में 0.071 है० प्रतिवादी सं. 4 की छोड़कर, प्रकार कुल 0.641 है० कमाण्ड  
अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

ज. प्रतिवादी सं. 8 राजेन्द्र को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.न.116/376 (25) के  
किला न.13, 18, 19, 20 की कुल 1.012 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि  
भूमि।

झ. प्रतिवादी सं. 9 हस्तीराम को प्राप्त कृषि भूमि :-

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प. न. 117/376 (26) के किला न. 17, 18, 19, 20 में 0.178 है० किला न. 19 के चिपती हुई किला न. 20 के पूर्व दिशा में, 24 में 0.114 है० किला न. 25 के चिपती हुई किला न. 24 में पूर्व दिशा में, प्रकार कुल 1.051 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15-09-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा प्रितल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलक्टर एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा